मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-5/2011/नियम/चार
भोपाल,दिनांक 27 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- प्रदेश के प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायु सेवा के प्रोत्साहन हेतु शासकीय सेवकों को हवाई यात्रा की पात्रता।

=

वर्तमान में वेतनमान ₹ 18400-500-22400 (पांचवा वेतनमान) अथवा उससे उच्चतर वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को शासकीय कार्य से हवाई यात्रा की पात्रता है ।

2/ मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निजी आपरेटर के माध्यम से प्रदेश पर्यटन औद्यौगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से निजी क्षेत्रों के माध्यम से वायु सेवा का विस्तारीकरण किया जा रहा है । अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अनुबंधित निजी आपरेटरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली हवाई सेवा के लिए राज्य शासन के अधिकारियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन हवाई यात्रा की पात्रता दी जाए:-

(1) ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन ₹ 6600/- या इससे अधिक हो, को राज्य के भीतर शासकीय कार्य से हवाई यात्रा की पात्रता होगी ।

(2) हवाई यात्रा की पात्रता इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल के मध्य रहेगी ।

(3) हवाई यात्रा के लिये आरक्षण के समय अधिकारियों को कार्यालय प्रमुख द्वारा हवाई यात्रा की पात्रता से संबंधित शासकीय भ्रमण का अनुमोदन पत्र/प्रपत्र जिसमें कार्यालय का पूरा नाम, पदनाम, कार्यालय दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. एवं जावक नम्बर व दिनांक दर्शाया गया हो । यह पत्र मेसर्स वेन्चुरा एयर कनेक्ट प्रा.लि. को उनके फेक्स नम्बर -0124-4923123 पर भेजना अनिवार्य होगा ।

(4) "अनुमोदन पत्र" की मूल प्रति शासकीय अधिकारियों को यात्रा से पूर्व एयरपोर्ट काउटंर पर पहली बार यात्रा करते समय जमा करना अनिवार्य होगा ।

(5) शासकीय अधिकारी को फोटो-पहचान पत्र एयरपोर्ट पर दिखाना अनिवार्य होगा । फोटो - पहचान पत्र शासकीय अधिकारी के पास नहीं होने पर उन्हें हवाई यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी ।

(6) फोटो आई.डी. न होने की स्थिति में आपरेटर को अधिकार होगा कि वह संबंधित अधिकारी को बोर्डिंग पास जारी नहीं करें ।

3/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
1/1/2002

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-5 /2011/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

http/WWW.MP.NIC.FINANCE.IN.COM.